

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(राजस्व भाखा)

--:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::--

उपमहाप्रबंधक, (वी0)- प्रभारी भू-अर्जन ओ.एन.जी.सी. सीबीएम परिसंपत्ति, पहली मंजिल, एच. एस.सी.एल. भवन, बोकारो का पत्रांक-BW-7 दिनांक-10.01.2019 एवं पत्रांक-BW-8 दिनांक-10.01.2019 के द्वारा ओ.एन.जी.सी. के प्रस्तावित वेधन स्थल रामगढ़ जिला के माण्डु अंचल अन्तर्गत मौजा-बोंगाहारा, थाना नं0-120 में सी0बी0एम0 गैस का विकास एवं दोहन किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि 1.22ए0 एवं 1.05ए0 Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अंचल अधिकारी, माण्डु के पत्रांक-835, दिनांक-16.05.2019 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनापत्ति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	माण्डू	बोंगाहारा	120	01	620	1.22	गै0 जंगल-झाड़ी
					620	1.05	गै0 जंगल-झाड़ी
कुल						2.27 एकड़	

कुल रकबा 2.27 एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(राजस्व भाखा)

उपमहाप्रबंधक, (वी0)- प्रभारी भू-अर्जन ओ.एन.जी.सी. सीबीएम परिसंपत्ति, पहली मंजिल, एच. एस.सी.एल. भवन, बोकारो का पत्रांक-BW-31 दिनांक-28.01.2019 के द्वारा ओ.एन.जी.सी. के प्रस्तावित वेधन स्थल रामगढ़ जिला के माण्डु अंचल अन्तर्गत मौजा-केरीबन्दा, थाना नं0-124 में सी0बी0एम0 गैस का विकास एवं दोहन किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि 1.15ए0 Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अंचल अधिकारी, माण्डु के पत्रांक-836, दिनांक-16.05.2019 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनापति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	माण्डू	केरीबन्दा	124	01	49	1.15	गै0 जंगल-झाड़ी
कुल						1.15 एकड़	

कुल रकबा 1.15 एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

उपायुक्त,
रामगढ़।